15.49 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF SICK TEXTILE UNDERTAKINGS (NATIONALISATION) ORDINANCE AND SICK TEXTILE UNDERTAKINGS (NATIONALISATION) BILL—*contd*.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we resume the discussion on the resolution seeking disapproval of the sick Textile Undertakings (Nationalisation) Ordinance, 1974 and the Bill to replace it.

SHRIMATI ROZA DESHPANDE (Bombay Central): As I was saying yesterday the Government started running the textile mills where the mills were making losses and they wanted to help and then return the mills to the owners. Later on, the workers had to start a movement and a campaign that the government should not return these mills to the erstwhile owners but nationalise them and run them. It is good that the Government has done it and we welcome it. At the same time while introducing this Bill Government should have borne in mind that we are dealing with an industry and industrialists at least more than 100 years old. These are the industrialists who have made huge profits in the early period by helping national movement and fattening their profits by the swadeshi movement in the good old days and later joined British rulers. They are very well-versed in the matter of how to earn their profits. They have managed this time also. We should have been much more cautious in drafting this Bill. You say, we are going to pay a certain 'amount' to the millowners. You know that workers would not swallow the word compensation and that is why you said, certain amount to the millowners. Do you think that these millowners were making losses and that they have put their babies on your lap? They never made any losses at all. You can find out from the reports that there was a fraud of Rs. 96 lakhs in Indo group mills. There were five mills in Tamilnadu wherein there was a fraud. A Committee was appointed. A report was given. But the Government has not brought out that report. These mills were not making any losses. Do you know to what extent they swallowed the provident fund, leave wages, earned wages of the workers etc. who swallowed these to celebrate the marriages of the girls and women of these industrialists? This is how the frauds took place. And now the Government comes up with a Bill that a certain amount and a compensation has to be paid to these people. Government have given us a big list of what they are going to pay to the millowners. But they have not shown such sympathetic attitude, or they have not been modest enough to give a list of how much is due to the workers by way of provident fund dues, gratuity, leave salary, wages, bonus, etc. which have been swallowed by the millowners. Have you at all taken account of these things, to see, what are the dues to the workers? No, you have not done that. You have put in the first item what is the amount to be paid to the mill owners and you have relegated this to the second item. And then you say, you will pay to the workers the amount after the take over. What about pre-take-over balance? This is my question. Who is responsible for that? Provident fund is eaten up by the millowners. Then you say, you are not responsible. When you took over the mills, I know, the workers have given their provident fund to the Government to run the mill as liquid capital. What are you going to do about it? We demand that the first priority should be given to the workers and not to millowners.

Your argument is that these are the secured loans of the banks, the nationalised banks, and they must be given the first priority. When did millowners take these loans? When the banks were not nationalised at all.

These private banks were a party to the frauds done by mill-owners. These loans are not secured loans. First priority must be given to the workers and all their dues should be given first. Through you, Sir, I would like to tell Mr. Pai that every pie due to the workers must be paid by the Government to them.

And if the Government does not yield to the demand of the workers the workers could not take this lying down. There will be strikes all over the country. Not only the workers of these nationalised textile mills but also the workers of the private mills will support them. I would like to know what plan you have for production in the textile mills. It is not a small number. 103 textile mills are being taken over. The owners of the private mills have cheated you very well. Mr. Madhu Limaye has given ample statistics. I need not repeat them. But I may say you had imposed that standard cloth was compulsory to be produced by the private mills as well as nationalised mills. These private millowners never produced the standard cloth. When you fined them they smillingly paid your fine because their profits were much more than the fine they were paying. I do not say we should produce cloth by which we will be losing but at the same time the textile mills should be able to provide cloth to the millions of workers and peasants in this country. I can assure you the workers will surely cooperate with you when you help them. If through this Bill you are going to deprive them of their own earned wages and bonus then I do not think you will get any cooperation from the workers. The workers produce thousands of yards of cloth on the machines but when they come out of the mill at the end of the day they are found to be wearing torn dhoti. He is not able to purchase the same cloth which he produces. Therefore, you have to satisfy these workers by bringing down the prices and you will have to take the lead in this.

My last point is about the running of this national textile corporation. Every now and then we hear a lot of hue and cry that there is corruption. You have to look into the functioning of the National Textiles Corporation.

There are certain private mill owners who have taken recourse to making losses. Do you know where they have diverted their money? There are really no losses. They have diverted their capital into other industries. They have gone into chemicals, pharmaceuticals and engineering, wherever they can make 400 to 600 per cent profit. That is why I tell you they have not gone into losses at all.

16 hrs.

Taking this recourse, they are deliberately doing this sort of thing. For instance, I may tell you that there is one Mill in Kanpur known as Lakshmi Rattan Cotton Mills. They are making losses. And now they feel that the Government may take over this Mill. The millowner has started telling that the machinery is not in order. I would like the Minister to look into the matter..

There is another mill in Buldana. For so many years this Mill is closed and nobody is looking into the matter. Why cannot the Government take over this mill which is closed for so many years and run it? My second point is this. You will have to look into the functioning of the Government run mills. For God's sake do not punish the workers if they point out a certain thing. The workers, in their honesty try to catch hold of the manager of some theft, instead of punishing that manager or any other culprit, the worker is punished. And this is what has happened in the India United Mills. There a trade unionist was suspended because he reported about the theft in the mill. In the Ayodhya Mills, in this very city, the functioning of the same is no good. This should be looked into and investigation should be done.

[Smt. Roza Deshpande]

My last point is this. When these 103 sick textile mills are being taken over by Government, under what law are they going to be governed? I do not want this kind of participation of labour in the management as you find in Bombay. When a worker points out to you a certain theft or fraud the worker is punished and not the management. This sort of participation of the workers in the management is not that I want. I want that these 103 textile mills should be governed by the Industrial Disputes Act. In Bombay they are governed by the Bombay Industrial Relations Act. I would like to know as to what way you are going to find out. Take for example the National Textile Corporation. If mills are taken over by the N.T.C. then all these 103 sick textile mills should be governed by the Industrial Relations Act. So, a central legislation should immediately be brought in and all these 103 sick textile mills should be governed by the Industrial Disputes Act.

Again I would like to emphasise that on page 2 of the Bill you have defined the textile which includes yarn or fabrics made either wholly or parly of cotton, wool, jute, synthetic and artificial (man-made) fibres. You will include in this 'silk' and "synthetics' also. As Mr. Limaye has stated, I demand that wages and salaries that are due to the employees should be given topmost priority. If this is not done, I am sure, a wholehearted support will not be given by the Opposition. And all the workers in these 103 sick textile Mills will have to fight the Government if this is not done. And there would be an opposition all over India. This is my warning.

श्री शंकर दयाल सिंह (चतरा) उपाध्यक्ष जी, सब से पहले तो मैं मंत्री महोदय का ध्यान "रुग्ण कपड़ा उपक्रम" का जो हिन्दी अनुवाद आता है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं । आदमी बीमार पड़ सकता है, सचेतन जीव बीमार पड़ सकता है, मिल कैसे बीमार हो जायगी, रुग्ण हो जायगी–यह समझ में नहीं आता है । हमारे मंत्री महोदय––मौर्य जी–हिन्दी के ज्ञाता भी हैं और जानकार भी हैं, प्रेमी भी हैं, इसलिये इस में संशोधन करें– रुग्ण कपड़ा मिल के स्थान पर बन्द कपड़ा मिल कह सकते हैं

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : नाम मिल दीजिये ।

श्री शंकर दयाल सिंह उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ताओं–श्री मधु लिमये जी, भाई राम सिंह वर्मा और श्रीमती रोजा देशपाण्डे जी ने कहा है कि राष्ट्रीकरण का यह जो उपक्रम हमारे सामने आया है, इस का हम स्वागत करते हैं और हर क्षेत्र में इस का स्वागत किया गया है । लेकिन इस के साथ मुझे यह भी कहने को मजबूर होना पड़ा है कि जिन उद्देश्यों को लेकर राष्ट्रीयकरण किया जाता है, इन उद्देश्यों की पूर्ति कहां तक होती है? होता यह है–– चाहे कोयले की खानों का राष्ट्रीकरण हो या इन बन्द कपड़ा मिलों का राष्ट्रीकरण हो–ये अफसरशाही के चंगुल में फंस कर इस तरह से बरबाद हो जाती हैं कि राष्ट्रीकरण का सपना चूर चूर हो जाता है । इस लिये मैं सरकार से सब से पहले यह कहना चाहता हूं, सुझाव देना चाहता हूं, सलाह देना चाहता हूं और साथ साथ चेतावनी भी देना चाहता हूं कि अफसरशाही के शिकंजे से उनको छुड़ा कर रखिये, तब समाजवादी लक्ष्य पूरा हो सकता है, अन्य

न इन की तरक्की होती है और न मजदूरों को राहत मिलती है। राहत मिलती है—बड़े बड़े अफसरों को।

राष्ट्रीयकरण के बाद की स्थिति क्या है? 103 मिलों का राष्ट्रीकरण किया गया—ऐसा लगता है कि जब से आपने राष्ट्रीयकरण किया और इन का प्रोडक्शन शुरु हुआ, तब से कपड़े के दामों में वृद्धि होने लगी। कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के समय भी ऐसा ही हुआ था। कोयले की मोनोपाली तो सरकार के हाथ में है, लेकिन कपड़े में तो सरकार की मोनोपाली नहीं है, प्राइवेट मिलें भी चलती हैं—इस लिए जब आप राष्ट्रीयकृत मिलों के कपड़े का दाम बढ़ायेंगे तो उसे फायदा पूंजीपतियों को होगा, पूंजी-स्वामियों को होगा। इसलिए इन 103 मिलों के अन्दर जो प्रोडक्शन हो, उनके मूल्यों को कन्ट्रोल में रखना पड़ेगा और उसी के अनुपात से जो निजी मिल वाले हैं, उन से भी कहें कि इसी के अनुपात में अपने उत्पादित कपड़े का दाम भी निर्धारित करें।

मंत्री महोदय और इस सदन को याद होगा—श्रीमती रोजा देशपांडे जी ने ठीक ही कहा था—जब नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन की स्थापना हुई थी, उससे बहुत बड़ी बड़ी आशायें बंधी थी और 1973 के अप्रैल में जब श्री के० पी० त्रिपाठी उसके चेयरमैन बनाये गये थे, उस समय भी यह सोचा गया था कि उन के द्वारा इस में कुछ बुनियादी काम होगा, समाजवादी काम होगा। लेकिन चार महीने के बाद श्री त्रिपाठी को क्यों रिजाइन करना पड़ा? उस समय भी यह बात उठी थी —उन्होंने जो रेजिगनेशन लटर लिखा था उसमें कहा था कि अधिकारी वर्ग के कारण उनको त्याग-पत्र देना पड़ा है। चूंकि वे लोग नहीं चाहते थे कि किसी तरह का कोई प्रगतिशील कदम इसमें बढ़ाया जाय। सबसे पहले मंत्री महोदय से कहूंगा कि वे उन मुद्दों को देखें, क्योंकि वे मुद्दे बहुत महत्व पूर्ण हैं।

मैं सरकार का ध्यान उन बातों की ओर नहीं खींचना चाहता हूं जिन के बारे में हमारे पूर्व-वक्ता बोल चुके हैं। श्री रामसिंह भाई ने ठीक ही कहा था—मजदूरों का हित आप को सबसे पहले देखना होगा। क्योंकि दूसरे जो टैक्सटाइल मिल वाले हैं, वे जब मजदूरों के खिलाफ कोई कदम उठाते हैं तो हम उनकी गरदन पकड़ते हैं, इसलिए सबसे पहले हमें ही इसमें मार्गदर्शन देना होगा—इसलिये सब से पहले मजदूरों का जो बकाया है, वह उन को मिलना ही चाहिए और जो उन की सही मजदूरी है, वह उनको मिलनी चाहिए।

अब प्रश्न पैदा होता है कि सही मजदूरी का क्या अर्थ है? सही मजदूरी का अर्थ है कि सबके लिए एक विधान आप के यहां बनना चाहिए। जितनी टैक्सटाइल मिल्ज आपने ली हैं उनमें मजदूरों को जो मजदूरी मिलती है, उसमें समानता नहीं है, कहीं कम मिलती है और कहीं ज्यादा मिलती है। उदाहरण के तौर पर आप को बतलाऊं—गया कौटन एण्ड जूट मिल आप ने ली है, जो बिहार में है। वहां के मजदूरों को कम पैसा मिलता है, लेकिन जो मिलें आपने कानपुर या बम्बई में ली हैं या अहमदाबाद में ली हैं वहां के मजदूरों को अधिक मजदूरी मिलती है। इसलिए हमारा अनुरोध है कि सबके लिए एक पैटन स्थापित करें, सब को एक सा मिलना चाहिए।

दूसरी बात—कम से कम इन सरकारी अधिगृहणवाली जो 103 मिलें हैं—इन में जो कपड़ा बने व गरीबों के पास पहुंचे। कल एक भाई ने ठीक ही सलाह दी थी कि आप इन मिलों में 100 या 200 किस्म का कपड़ा मत बनाइये या हजार किस्म का कपड़ा मत बनाइये, सिर्फ दो-तीन तरह का ही कपड़ा बनाइये, मोटा कपड़ा बनाइये और उसपर दाम छापिये जिससे बेचने वाला शोषण न कर सके। इस लिए हमारी इन 103 कपड़ा

[श्री शंकर दयाल सिंह]

मिलों से जो उत्पादन हो, वह गरीबों के पास पहुंचे और वह समझें कि सरकार वास्तव में हमारे लिये कुछ कर रही है—हमें शोषण से बचा रही है।

इस समय बहुत अधिक मात्रा में कपड़ा निर्यात हो रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार 150 करोड़ रुपये से भी अधिक का निर्यात भारत के टैक्सटाइल का हो रहा है। आप इन मिलों में से कुछ मिलों को छांट लें, 25 प्रतिशत मिलों को एक्सपोर्ट के लिये निर्धारित कर दें, उन का जो माल बनेगा वह एक्सपोर्ट होगा। यदि आप ऐसा कर सकेंगे तो उसी पैटर्न पर दूसरे लोग भी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे तथा शेष माल को गरीबों के लिये उपलब्ध करायें।

हमारे यहां जिन टैक्सटाइल मिलों का अधिग्रहण किया गया है, इन के उत्पादन की एजेन्सीज ऐसे लोगों को मिल गई है जो काफी लूट रहे है, ये वही लोग है जो पहले भी लूटते थे और आज भी लूट रहे हैं। आप के यहां बहुत से शिक्षित बेरोजगारी और दूसरे लोग पड़े हुए हैं जिन के पास काम नहीं है, आप ये एजेंसियां उन को दें। जैसे आप ने गैस सिलैण्डर की एजेन्सियां एक्स-सोल्जर्स को दी है, पैट्रोल पम्पस का काम शिक्षित बेरोजगारों को दिया है, उसी तरह से इन मिलों के उत्पादन की एजेन्सियां ऐसे लोगों को दें ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके।

आप की सभी टैक्सटाइल मिलें देश के विभिन्न भागों में फैली हुई हैं—मैं चाहता हूं कि आप इन के लिये एक छोटी सी सलाहकार समिति बनाए, जिसमें एक एक्सपर्ट हो, एक मैनेजमेन्ट का आदमी हो, एक मजदूरों का प्रतिनिधि हो और अगर आप उस में उचित समझे तो वहां के चुने हुए प्रतिनिधि एम॰एल॰ए॰ग्रा एम॰ पी॰ को उस में डालिये, जिस से कि उन के ऊपर नियन्त्रण रह सके। वरना वहां के लोग निरंकुश हो जायेंगे। मैं अपने यहां देखता हूं—गया जूट एण्ड काटन मिल का अधिग्रहण हो रहा है, वहां, इसी तरह की बातें हैं। जो पुराने मजदूर हैं उन की नौकरी को खत्म कर के नई नियुक्तियां हो रही हैं। मैं चाहता हूं कि पुराने मजदूरों को प्राथमिकता मिलनी चाहिये और उन के बाद नये लोग बहाल होने चाहिये।

उपाध्यक्ष जी, मैं सदन का ज्यादा समय न लेकर एक दो बातें और निवेदन करना चाहता हूं। गया काटन एण्ड जूट मिल्स बिहार की एक बड़ी मिल है, गया जिले में और कोई दूसरी फैक्टरी नहीं थी, उस के अधिग्रहण के लिये प्रधान मंत्री जो और उस समय के विदेश व्यापार मंत्री—श्री ललित नारायण मिश्र—दोनों के पास हम लोग एप्लीकेशन लेकर गये थे, व्यक्तिगत रूप से भी मैंने लिखा कि उस उसका अधिग्रहण किया जाय। उसी को परिणामस्वरूप उस का अधिग्रहण किया गया। उस का ठीक ढंग से कारोबार नहीं चल रहा है। आप उस की जांच करा लें। उस में विस्तार की संभावना भी है। पिछली बार जब मिल बंद हुई थी तो दो हजार मजदूर उस में काम करते थे और अब 1100 मजदूर काम करते होंगे। उस में विस्तार की संम्भावना है, जगह है और स्कीम भी है। फिर भी क्यों नही विस्तार किया जा रहा है।, इस को आप देख लें।

जो 103 मिलें आप लेने जा रहे हैं उन में जिन लोगों को आप मैनेजिंग डाइरेक्टर, डाइरेक्टर या मैनेजर करके बैठाय उन पर उत्तरदायित्व दीजिए। पब्लिक सेक्टर की सबसे बडी बुराई यह है कि जो आदमी हैड होता है, अगर उसमें नकसान भी होता है तब भी उसकी उन्नति

होती चली जाती है। आप कहिए कि तुम्हारे हाथ में यह मिल दी है, तुम अगर इसका प्रोडक्शन नहीं बढाते हो, मैनेजमेंट ठीक नहीं करते हो तो तुम्हारी उन्नति नहीं की जाएगी। यह जवाब देही आप तय कीजिए। आखिर कारण क्या है कि उसी तरह की जो निजी मिलें हैं उन में फायदा होता है और सरकारी मिलों में नुकसान होता है? श्रीमती रोजा देश पांडे ने ठीक ही कहा कि जब नुकसान होने लगता है तो मजदूरों को तो इसके लिए दंडित किया जाता है लेकिन हैड को नहीं किया जाता है। इस सदन में बहुत लोगों की काफी जानकारी है, और माननीय रामसिंह वर्मा जी ने जो सुझाव दिए हैं उन को आप देखें तथा समय निकाल कर मंत्री भी स्वयं इन मिलों का भ्रमण करें जिस से उन का उत्पादन बढ सके।

डा० लक्ष्मीनारायण पांडें (मंदसौर): उपाध्यक्ष जी, सरकार द्वारा रुग्ण कपड़ा उद्योग को अपने हाथ में लेने सम्बन्धी जो विधेयक है और उसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा जो अध्यादेश निकाला गया उस पर चर्चा हो रही है। सरकार ने न तो कपड़े के उत्पादन के सम्बन्ध में, न उसके वितरण के सम्बन्ध में, न उसकी क्वालीटी के सम्बन्ध में, कोई अपनी निश्चित नीति निर्धारित की है, और इसीलिए आज इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई कि सरकार को पहले एक बार 57 और फिर 46 कुल मिला कर 103 मिलों को अपने हाथ में लेना पडा। और इतनी जल्दबाजी में किया कि सुप्रिम कोर्ट को भी सरकार पर कुछ स्ट्रिक्चर्स पास करने पडे जो वांछनीय नहीं कहा जा सकता। सरकार का मन्तव्य रहा कि कपडा उद्योग को सुधारा जावे। जन-साधारण को अच्छा कपडा मिले और कपड़े की क्वालीटी में सुधार हो, इस लिए इनको लेना चाहते हैं। लेकिन सरकार ने पिछले करीब 15 सालों से कुछ मिलों को अपने हाथ में ले रखा था उसके बाद भी सरकार कुछ मिलों को नहीं सुधार सकी। और कुछ मिलों को सुधारा तो उन मिलों को फिर उन्हीं मिल मालिकों को दे दिया। उदाहरण के लिए राजस्थान की मेवाड टैक्सटाइल मिल को सरकार ने अपने हाथ में लिया ठीक करने के लिए। लेकिन ठीक करने के बाद उन्हीं मिल मालिकों को फिर वापस दे दिया समझ में नहीं आता ऐसा क्यों किया? शायद सरकार को बदले में कुछ मिला हो। एक तरफ सरकार रुग्ण मिलों को राष्ट्रीकरण इस लिए कर रही है कि उन को अच्छे ढंग से चलाए। तो जब चलाने के लिए लिया था तो पूरी तरह ठीक करने के बाद उन को वापिस करने के पीछे कुछ रहस्य अवश्य है। अनेकों मिल ऐसी हैं जो इन से भी खराब हालत में हैं, मध्य प्रदेश में रतलाम में सज्जन मिल है जिस पर मजदूरों का काफी बाकाया रहा। इस सज्जन मिल ने 10 प्रतिशत कपडा जनता के लिए बनाने की बात कही, लेकिन बनाया नहीं जहां तक मेरी जान कारी है उस पर फाइन हुआ वह भी नहीं दिया और आज तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। भाई राम सिंह जी पहले ही कहें कि वह मिल अच्छी है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि उन्होंने जो कपडा बनाया वह जनता के लिए नहीं बनाया। यदि पूरा था तो 20 मीटर का था तो 20 मीटर से कम कपडा दिया गया जो कि पकडा भी गया। ग्वालियर की एक मिल ने ऐसा ही किया जो बिडला द्वारा संचालित है। उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। 20 मीटर के स्थान पर 18 मीटर के कपडे के थान पकडे गये, पूरे मध्य प्रदेश में वह कपड़े पकड़े गये।

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सिल्क मिलस की परिभाषा में जो भी भविष्य में आ जायगा, चाहे बिड़ला का, टाटा का, राजा का या रानी का हो, निश्चित-

[श्री बी० पी० मौर्य]

पूर्वक उस को टेक ओवर कर लिया जायगा। इतना आप विश्वास रखें।

डा० लक्ष्मी नारायण पांडे : आखिर सरकार की कोई निश्चित नीति होनी चाहिए। कपड़े का पहले हम काफी निर्यात करते थे, लेकिन आज वह घटा है। भले ही मिल मालिक या सरकार वित्तीय कठिनाई या अन्य बहाना करे। आखिर इस का कारण क्या है? क्या मिल मालिकों ने मजदूरों का शोषण नहीं किया है? क्या सरकार अपने कर्तव्य को निभा रही है? मध्य प्रदेश में सनावद सूती मिल में क्या हम वह सूत नहीं तैयार कर सकते, जो आम लोगों के काम का हो? आज हम को भारी मात्रा में लौंग स्टेपिल काटन बाहर से मंगानी पड़ती है जिस के लिये काफ़ी विदेशी मुद्रा देनी पड़ती है। स्वयं मंत्री जी जानते हैं कि गत वर्ष लांग स्टेपिल काटन, मशीनरी, डाइज और कैमिकल्स के आयात में करीब 1,200, 1,300 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी। लेकिन निर्यात किया 700 करोड़ रु० का। हमने विदेशी मुद्रा ज्यादा खर्च की बनिस्वत कमाने के। आखिर हमारी नीति ऐसी होनी चाहिए जिस से विदेशी मुद्रा अधिक कमायें। और इसी आधार पर कहा जा सकता है कि सरकार की कपड़ा उद्योग सम्बन्धी निश्चित नीति नहीं है। और यह बिल भी अपूर्ण है।

मजदूरों की भविष्य निधि, ग्रेचुटी, पेंशन आदि के बारे में क्या होगा यह बातें बिल में स्पष्टतः नहीं बतायी गई हैं। कुछ मिलें ऐसी हैं जिन को आप ने लिया है उन पर मजदूरों का पिछला काफ़ी बकाया है भविष्य निधि का। मध्य प्रदेश की मालवा मिल के ऊपर लगभग 80 लाख के करीब बकाया है। आखिर उस का पेमैन्ट कौन करेगा? किस तरह से होगा? आप कह रहे हैं कि पिछला नहीं देंगे, भविष्य का देंगे। लेकिन जो मजदूरों से पैसा लिया गया है वह तो उन को मिलना ही चाहिये। कल्याण मिल पर 22 लाख रु० इसी प्रकार हीरा मिल पर भी काफ़ी बाकी है, और स्वदेशी मिल पर 35 लाख से ऊपर रुपया मजदूरों का बाकी है। इस को भी आप अपने हाथ में लिया है? इसी प्रकार से बरहानपुर तापती मिल है वहां के मजदूरों ने मिल चलाने के लिये अपने वेतन में से पैसा काट कर दिया। आज उन का पैसा भी मिल मालिक डकार गये। क्या आप उन के पैसे की रक्षा कर सकेंगे? उज्जैन के विनोद मिल की भी यही हालत है। मंदसौर, मध्य प्रदेश के एक और मिल की तो और भी बुरी दशा है। आपने नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन बनाया है। कल मंत्री जी ने कहा कि जो स्टेट की कौरपोरेशन्स बनेंगी वह सबसिडिअरी होंगी। नियंत्रण नेशनल कौरपोरेशन का होगा और हमारे नियंत्रण से वह बाहर नहीं जा सकतीं। लेकिन अखबारों में इस प्रकार का समाचार छपा है कि गुजरात उससे बाहर रहना चाहता है। टाइम्स आफ इण्डिया के 18 अक्टूबर में निम्न समाचार छपा है :

> "The State Government have pointed out that the running of the textile mills required decentralised management, familiarity with local conditions and procedures that facilitate quick decisions."

आप तो कह रहे हैं कि हमारे नियंत्रण में रहेंगी और स्टेट गवर्नमेंट का विचार है कि लोकल कंडीशन्स के हिसाब से डीसेन्ट्रेलाइज करना चाहिये। पूरा पूरा उन का नियंत्रण रहे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या स्थिति होगी?

बिल के उद्देश्यों में बताया गया है कि :

"....of different varieties of cloth and yarn and provide employment continuously to the large number of employees in these mills, it has become necessary to nationalise the said undertakings."

आप एम्प्लायमेंट की बात कह रहे हैं। जो मजदूर हैं उनको निरंतर करने की बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत सी मिलें हैं जिन के अन्दर आपकी एक्सेस लेबर हो सकती है । अब क्या आप उनको निकालेंगे ? अगर निकालेंगे तो उनका भविष्य क्या होगा ? मैं आप से इस के बारे में आश्वासन चाहता हूं कि लेबर को निकाला नहीं जाएगा। आप कहेंगे कि इतने लूम्ज के पीछे इतनी लेबर चाहिए, इतनी स्पिंडल्ज के पीछे इतना व्यय आना चाहिये और उसके हिसाब से ही लेबर रखेंगे और जो एक्सेस लेबर होगी उस को निकाल देंगे । लेकिन अगर मैनेजमेंट सही नहीं है तो उसका क्या होगा ? अगर पचास आदमी आपको चाहियें और आपके पास अस्सी हैं तो तीस को जो एक्स्ट्रा हैं क्या उनको आप अलग करेंगे? या उन का भविष्य क्या होगा ? क्या इस प्रकार की परिस्थिति पैदा नहीं होगी? अगर ऐसा है तो इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। मैं स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं इसके सम्बन्ध में कि मजदूरों के हितों की पूरी पूरी रक्षा की जायेगी। उनकी नौकरी की उन्नति, भविष्य निधि की व अन्य बातों की।

लोक सभा के अन्दर दो सितम्बर को यह विधेयक प्रस्तुत हो चुका था। और इस पर विचार इस सत्र में भी सम्भव था। सरकार के पास पहले से ही मिलों का प्रबन्ध था, फिर 21 सितम्बर को अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? पहले भी सिक मिल्ज के नाम पर आप इन मिलों को चला रहे थे। 21 सितम्बर को अध्यादेश और 22 सितम्बर को आपने तमिलनाडु में एक मिल का अधिग्रहण किया । यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्चर्ज पास किए जो कि अखबारों में छपे हैं। मैं उनको उद्धृत करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है :

"The Supreme Court today passed strictures on the way in which the National Textile Corporation, a Central Government undertaking, took over possession of a textile mill in Tamil Nadu soon after the promulgation of the Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Ordinance on the night of September 21...."

यह समाचार इकनामिक टाइम्स के 8 अक्टूबर के अंक में छपा है । 21 तारीख को आपने आर्डिनेंस निकाला। 22 को आपके द्वारा एक मिल का अधिग्रहण किया गया । सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सरकार ने जो किया वह ठीक नहीं था, इस प्रकार का टेक ओवर ठीक नहीं था । इस प्रकार की जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं थी। यह चीज काफी चर्चा और विवाद का विषय बनी हुई है । क्या सरकार धैर्य से यह कार्य नहीं कर सकती थी और आज भी जल्दबाजी की जा रही है ।

आप अध्यादेश के स्थान पर एक बिल लाए हैं जिस को आप चाहते हैं कि सदन स्वीकार करे। आपको चाहिए था कि आप एक विस्तृत विधेयक लाते जिस पर सदन विचार करता और उसको स्वीकार करता । जल्दबाजी में आप को यह काम नहीं करना चाहिये था। निश्चित निति के आधार पर कोई ज्यादा अच्छा बिल आपको बना कर हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहिये था जिस में आपको चाहिये था कि आप मजदूरों के हितों को सुरक्षित करते ।

[डा० लक्ष्मी नारायण पांडे]

मजदूरों के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन की बात बहुत दिनों से चल रही है । इसके सम्बन्ध में इस विधेयक में कोई व्यवस्था नहीं की गई है । साठे जी ने कहा था कि कॉटन ग्रोअर्ज की क्या दशा है उसका आपने खयाल नहीं किया है । कपास के भाव चार हजार प्रति खण्डी से गिर कर दो हजार ही रह गए हैं, यानी आधे हो गए हैं। ग्रोअर्ज के हितों का आपको संरक्षण करना चाहिये था । उनको उचित मूल्य उन के उत्पादन का मिले इस की आपको व्यवस्था करनी चाहिये थी। अगर यही हालत रही तो क्या वे आगे से कपास पैदा करेंगे ? ग्राउंड नट आदि का उत्पादन वे प्रारम्भ नहीं कर देंगे ? आप ने कपड़ा व सुत के वितरण की बात कही है , लेकिन सूत के अभाव में हथ करघे में काम करने वाले जो लोग हैं, पावर लूम्ज पर काम करने वाले जो हैं उन को सूत ठीक नहीं मिल रहा है । अन्यथा हथकरघे व पावर लूम पर कपड़े का उत्पादन और बढ़ता, मिलों से ज्यादा ये लोग काम करते । उन के वास्ते आपने कुछ व्यवस्था की है । सिक मिल्ज को अपने हाथ में ले कर, उनका नैशनलाइज़ेशन कर के सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है । उत्पादन और वितरण आपको ठीक करना चाहिये, आपकी वितरण व्यवस्था ठीक नहीं है, साधारण जनता को सस्ता कपड़ा उपलब्ध नहीं, आम जनता जो कपड़ा पहनती है उसकी उपलब्धि की आपको व्यवस्था करनी चाहिये। यह कहा गया है कि आम जनता के इस्तेमाल का कपड़ा दस से बढ़ा कर 18 या 20 प्रतिशत आप करना चाहते हैं हैं। लेकिन वह तीस प्रतिशत होना चाहिये। मिलों पर यह बंधन अनिवार्य हो । काटन ग्रोअर्ज के हितों का आपको संरक्षण करना चाहिये। मजदूरों के हितों की आपको देखभाल करनी चाहिये, उनकी भविष्यनिधि, उनकी ग्रेचुइटी आदि के जो सवाल उठाए गए हैं, उन को आपको हल करना चाहिये, उन को आपको संरक्षण प्रदान करना चाहिये । इसके साथ ही कृपया यह भी स्पष्ट करें कि उनके मुआवज़े का आधार क्या है ? क्या निश्चित पद्धति अपनाई गई है ?

इन शब्दों के साथ यह जो अध्यादेश निकाला गया है इस का मैं निरनुमोदन करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि एक कम्प्रिहेंसिव बिल मंत्री महोदय लाने की चेष्टा करें ताकि हम उस पर खुल कर विचार कर सकें और उसका समर्थन कर सकें । अन्यथा इस कदम से न तो आम जनता को कपड़ा सस्ता उपलब्ध होगा न हेण्डलूम या पावरलूम वालों को सस्ता सुत ही उपलब्ध हो सकेगा, न मजदूरों का भविष्य ही सुरक्षित रह सकेगा ।

SHRI VASANT SATHE (Akola): Mr. Deputy-Speaker, Sir, this is a very important Bill that has been brought forward, and I would like to congratulate the Government for having taken a major step in nationalising a substantial chunk of the textile mills of the country. Even this can make a dent if we pursue a right policy.

16.29 hrs.

[SHRI NAWAL KISHORE SINHA *in the Chair*].

To begin with, I would like to submit that it is absolutely imperative that we evolve a national textile policy if we really want to make any impact on the deteriorating textile situation in the country. By only taking over sick mills, is the Government going to be a nursing home? Why did we not, as in coal, take the

bold decision of nationalising the entire textile industry in the country? Then, you would have been able to formulate a policy of deciding whether 4300 varieties of cloth should be produced or whether only 300 varieties of cloth should be produced. Then, you would have been able to decide whether a remunerative price should be paid to the cotton-grower, what should be the ratio between that price, the price for processing and ultimately the price of cloth. Then, you would have been able to decide how much of the cotton at all will be required to be imported. Then you would have been able to decide whether the fine and the superfine varieties of cloth required for only 0.5 per cent of our population should be allowed to be produced. All this you cannot decide today because what we are going to take with us are only 103 sick mills in which we will have to invest a large capital for modernisation and other things and then alone we will be able to be in a position to create an impact in competition with the mills which are in the hands of the exploiters. That is why I say that a national policy will have to be evolved.

In this Bill I would beg one thing of the Minister. I am really in a way happy but, at the same time, I am also a little apprehensive. This big and difficult Bill has been given to you at the very outset, as a first charge. I am not disputing your ability to pilot this Bill. But what an uphill task has been given to you. What a difficult and impossible task has been given to you. I know you are capable of rising to the occasion..

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad): Not impossible for him.

SHRI VASANT SATHE: It is a good begining, provided he is able to rise to our expectations and the occasion and accept the suggestions which will be made and which come from all sections of the House relating to the rights of the workers.

Now, if you see Section 5, it takes away all the rights. I would just invite your attention to this section: Section 5(2) says:

"For the removal of doubts, it is hereby declared that,——

(a) save as otherwise provided elsewhere in this Act, no claim for wages, bonus, rates, rent, taxes, provident fund, pension, gratuity or any other dues in relation to a sick textile undertaking in respect of any period prior to the appointed day, shall be enforceable against the Central Government or the National Textile Corporation."

The appointed day is 1st April, 1974. Now, what are we trying to do? Whom are we trying to protect? You are giving Rs. 39 crores to the employers and out of this amount, if you take away these prior claims, then this will go only to pay the secured loans and the Government dues. Now, what are the secured loans? The loans of the banks given to these mills which were taken over. What I would like to know is that if there is a prior and continuing liability, after all the bank loans still remain as loans and they need not be paid off in a lumpsum, you can pay them from your continuing profits. What is the urgency of putting it on the priority list? Suppose this loan is given by the State Government. What is the urgency of paying it? After all, this is also a Government undertaking and it is Government money and it will remain like that. But what happens to the hard-earned wages, money, gratuity, bonus, provident fund etc which run into crores of rupees? As pointed out by an hon. Member, what is the fault of that worker? Where will he go? We say that we are a social welfare State.

[Shri Vasant Sathe]

We say we are a State which wants to defend the rights of the downtrodden and the weaker sections. That is our pledge to this country. What fault have these workers committed? What crime have they committed? They have served these mills. Theseq are their whole life's savings. You are not only the son of a worker but you have spent your life in the struggle of the working class. Has the worker got any bank balance? Has he got any assets kept aside, except his provident fund? He has no savings, he has no dividends. he has no shares, and anything of that kind at all. He elies only on his provident fund, or gratuity. I am glad you said that gratuity you will consider, that is, for the entire service. But bear with me, your officers are misleading you. It is not fair I should say. Under the gratuity Act the entire service will be taken into consideration under the definition. That is why they have allowed you that concession. Yet, the position is, you will not be able to give gratuity because you have put it in the last item, part II of this Schedule. After paying everything if there is something remaining, then only gratuity will come in. Do you know the calculations made? I will show case by case. I don't want to go into details. You see the item of 57.50 lakhs for Rai Bahadur Bansilal Abirchand Mills which you have provided.

श्री मूलचंद डागा (पाली) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । सदन में क्वोरम नहीं है ।

MR. CHAIRMAN: The Bell is being rung.

Now, there is quorum. Mr. Sathe will continue.

16.37 hrs.

CONTEMPT OF THE HOUSE

MR. CHAIRMAN: I have an announcement to make.

Hon. Members, I have to inform the House that today, at about 12-25 P.M., a visitor calling himself Satenderjeet Singh, son of Sardar Surendra Singh, attempted to enter the Visitors' Gallery of Lok Sabha after getting his pass checked at the checking post. A Watch and Ward Assistant of the Lok Sabha Secretariat on duty near the Visitors' Gallery Gate asked him to declare the belongings on his person. He noticed something bulging out in his coat pocket. On search, it was found to be a glass jar containing some explosives attached to a fuse and crackers. The said visitor immediately took out a dagger hidden on his person and attempted to assault the Watch and Ward Assistant. However he was overpowered by the Watch and Ward Assistant with the help of other Watch and Ward Assistants. He was taken into custody by the Watch and Ward Officer. This is a serious matter. I bring it to the notice of the House for such action as the House may deem fit.

SHRI H. K. L. BHAGAT (East Delhi): It is a very serious matter, that is, somebody trying to enter Visitors Gallery with explosives. I would like to know the name of the person who had issued the pass. This is the product of the atmosphere which is being created in the country.

MR. CHAIRMAN: The name of the sponsoring member is Shri D. S. Pradhan. *(Interruptions)*.

DR. HENRY AUSTIN (Ernakulam): Sir, it had been stated earlier that when Members issue passes sufficient discretion should be used to find out whether the visitor is a genuine one or not. I would like to know whether